न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 13/ 2020

1 जसवन्तराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 सुमन देवी पत्नी जसवन्तराम जाति जाट निवासी चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 शैलेन्द्र कुमार पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

4 सरोज देवी पत्नी शैलेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

5 बलवन्तराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

6 गुलाब पत्नी बलवन्तराम जाति जाट निवासी चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

1 ख्यालीराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 गीता देवी पुत्री ख्यालीराम पत्नी रघुवीरराम जाति जाट निवासी कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 माया देवी पुत्री ख्यालीराम पत्नी सुभाषराम जाति जाट निवासी कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर

प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री राकेश सिहाग अधिवक्ता (वादीगण)

2 श्री दीपक स्वामी अधिवक्ता प्रतवादी संख्या 1 ता 3

3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

दिनांक :– 19.02.2020

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 3 एल एल जी जमाबदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 31/30 प.न. 33/156 मु.न. 106 कि.न. 6 ता 8, 11 ता 24 में 4.060 है. नहरी मय खाला, प.न. 33/157 मु.न. 117 कि.न. 1, 2 में 0.190 है. नहरी मय खाला कुल खाता 4.250 है. नहरी मय खाला आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबदी संलग्न वाद पत्र है। चक 3 एल एल जी जमाबदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 52/50 प.न. 33/156 मु.न.

उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

106 कि.न .9, 10 प्रत्येक मे 0.253 है, नहरी कुल 0.506 है.नहरी आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबदी संलग्न वाद पत्र है। चक 1 एल एल जी जमाबदी सम्वत 2072–2075 खाता संख्या 30/23 प.न. 44/160 मु.न. 15 कि.न. 2, 9, 12, 18/2, 19, 22, 23 मे 1.670 है, बारानी, प.न. 44/161 मु.न. 20 कि.न. 3, 8, 13, 18,22/1, 23 मे 1.455 है, बारानी मय गै.मु. रास्ता, कुल खाता 3.125 है, बारानी मय गै.मु. रास्ता आराजी प्रतिवादी संख्या 1 केनाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।वादीगण एव प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है वादीगण संख्या 1, 3, 5 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है एवं वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू विधि के मिताक्षरा स्कूल से शासित है जहां प्रत्येक सन्तान का सहदायिकी सम्पति में जन्म से ही कानूनन हक व हिस्सा बनता है जो कि वादीगण संख्या 1 3, 5, प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है एव वादीगण का वादाधीन आराजी मे प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से ही ब.हि.ब. कानूनन हक व हिस्सा बनता है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य वादाधीन आराजी का पारिवारिक बंटवारा हो चूका है एव मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार प्रतिवादी संख्या 2 व 3 जो कि वादीगण की बहिने व ननदे है ने अपना हक हिस्सा मौखिक रूप से पारिवारिक बंटवारा में वादीगण के हक में त्याग दिया है एव वादीगण संख्या 1 3, 5 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ चक 3 एल एल जी में दर्ज आराजी ब.हि.ब. प्राप्त हुयी है एव वादीगण संख्या 2, 4, 6 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ चक 1 एल एल जी में ब.हि.ब. आराजी प्राप्त हुयी है एव इसी अनूसार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्सा में मुताबिक पारिवारिक बंटवारा में प्राप्त आराजी को काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त में प्राप्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम मुताबिक पारिवारिक बंटवारा के अनूसार दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण वादीगण को पानी की बारी रकम अदायगी बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ नही मिल पाता है एव ना ही फसल मे होने वाले नुकसान के तहत कोई मुआवजा राशि मिल पाती है , एव आराजी राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नही होने से वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अक्सर विवाद की स्थिती बनी रहती है जिस कारण वादीगण अपने हक हिस्सा की आराजी को मन लगाकर काश्त कर पाने मे असमर्थ है इसलिए वादीगण अपने हक हिस्सा एव कब्जा काश्त में प्राप्त मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार आराजी की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के कानूनन हक अधिकारी है। वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वह वादीगण के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त में प्राप्त आराजी का वादीगण को पारिवारिक बंटवारा के मुताबिक खातेदार काश्तकार स्वीकार कर लेवे व किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम से दर्ज रिकॉर्ड करवा देवे तो पहले तो प्रतिवादीगण आज कल आज कल करते रहे परन्तु दिनांक 3.1.2020 को वादीगण की बात मानने से बमुकाम चक केरा में स्पष्ट रूप से ईन्कार हो गये बस यही बिनाये दावा है। वगैरा–वगैरा।

लिहाजा वाद वादीगण मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि:–

(क)- यह कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 3 एल एल जी जमाबदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 31/30 प.न. 33/156 मु.न. 106 कि.न. 6 ता 8, 11 ता 24

कि.न. 1, 2 में 0.190 है. नहरी
में 4.060 है. नहरी मय खाला, प.न. 33/167 मु.न. 117 आराजी में से वादी संख्या 1
मय खाला कुल खाता 4.250 है. नहरी मय खाला बलवन्तराम को ब.हि.ब. 3.187
जसवन्तराम, वादी संख्या 3 शैलेन्द्र कुमार वादी संख्या 5 इस हद तक प्रतिवादी संख्या
है. आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव के नाम दर्ज चक 3
1 का नाम कलमजन किया जावे।(ख)यह कि प्रतिवादी संख्या 1 प.न. 33/156 मु.न.
एल एल जी जमाबदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 52/50 आराजी में से वादी
106 कि.न .9, 10 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 0.506 है. नहरी बलवन्तराम को ब.
संख्या 1 जसवन्तराम, वादी संख्या 3 शैलेन्द्र कुमार वादी संख्या 5 एव इस हद तक
हि.ब. 0.380 है. आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे
प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।(ग) यह कि प्रतिवादी संख्या 1
के नाम दर्ज चक 1 एल एल जी जमाबदी सम्वत 2072-2075 खाता संख्या 30/23
प.न. 44/160 मु.न. 15 कि.न. 2, 9, 12, 18/2, 19, 22, 23 में 1.670 है. बारानी, प.न.
44/161 मु.न. 20 कि.न. 3, 8, 13, 18,22/1, 23 मे 1.455 है. बारानी मय गै.मु.
रास्ता, कुल खाता 3.125 है. बारानी मय गै.मु. रास्ता आराजी में से वादी संख्या 2
सुमन देवी वादी संख्या 4 सरोज देवी वादी संख्या 6 गुलाब को ब.हि.ब. 2.344 है.
आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या
1 का नाम कलमजन किया जावे।
वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब
किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल दावा
पेश कर वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ
राजयहित को ध्यान में रखते हुये वाद वादीगण में उचित आदेश फरमाये जाने की
इस्तदुआ की।
बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये वाद
वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया,वकील प्रतिवादीगण ने वादीगण के
कथनों में अपनी सहमति प्रकट की , पत्रावली का अवलोकन किया गया, वादीगण व
प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है एव वादाधीन आराजी पर वादीगण
वप्रतिवादीगण पारिवारिक बंटवारानूसार काबिज काश्त चले रहे है जो कि वादीगण
वादाधीन आराजी में पारिवारिक बंटवारा के अनूसार खातेदारी घोषणा की मांग कर रहे
है एव प्रतिवादीगण ने वादीगण के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की है एव वादीगण
की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य वादाधीन
आराजी के सम्बध में कोई विवाद नही है एव उभय पक्ष अपने अपने हक हिस्सानुसार
सहमत है इस प्रकार वादीगण ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्यों, अभिकथनों एव
इकबाल व बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है वाद वादीगण स्वीकार किया
जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा
तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :- (क) प्रतिवादी
संख्या 1 के नाम दर्ज चक 3 एल एल जी जमाबदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या
31/30 प.न. 33/156 मु.न. 106 कि.न. 6 ता 8, 11 ता 24 में 4.060 है. नहरी मय

उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

खाला, प.न. 33/157 मु.न. 117 कि.न. 1, 2 में 0.190 है. नहरी मय खाला कुल खाता 4.250 है. नहरी मय खाला आराजी में से वादी संख्या 1 जसवन्तराम, वादी संख्या 3 शैलेन्द्र कुमार वादी संख्या 5 बलवन्तराम को ब.हि.ब. 3.187 है. आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।(ख) प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 3 एल एल जी जमाबदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 52/50 प.न. 33/156 मु.न. 106 कि.न .9, 10 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 0.506 है. नहरी आराजी में से वादी संख्या 1 जसवन्तराम, वादी संख्या 3 शैलेन्द्र कुमार वादी संख्या 5 बलवन्तराम को ब.हि.ब. 0.380 है. आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।(ग) प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 1 एल एल जी जमाबदी सम्वत 2072–2075 खाता संख्या 30/23 प.न. 44/160 मु.न. 15 कि.न. 2, 9, 12, 18/2, 19, 22, 23 में 1.670 है. बारानी, प.न. 44/161 मु.न. 20 कि.न. 3, 8, 13, 18,22/1, 23 मे 1.455 है. बारानी मय गै.मु. रास्ता, कुल खाता 3.125 है. बारानी मय गै.मु. रास्ता आराजी में से वादी संख्या 2 सुमन देवी वादी संख्या 4 सरोज देवी वादी संख्या 6 गुलाब को ब.हि.ब. 2.344 है. आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

उक्तानूसार ही वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.2.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर जिला गंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.17 12:08:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: